

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, जिला- कोरबा (छ.ग.)

- कार्य विभाजन आदेश -

क्रमांक : /सी0जे0एम0/2024

कोरबा, दिनांक : 14/08/2024

मैं, सीमा प्रताप चन्द्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा दंडिक कार्य-विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किये गये आदेशों/ज्ञापनों को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 14(1) एवं 15(2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल जिला कोरबा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य दंडिक प्रकरण एवं कार्य का विभाजन निम्नानुसार करती हूं, जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, कोरबा के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा :-

क्र०	न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम एवं पद	आबंटित आरक्षी केन्द्र का नाम	कार्य एवं क्षेत्राधिकार का विवरण
1	2	3	4
1.	सीमा प्रताप चन्द्रा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा	आरक्षी केन्द्र बालको (चौकी रजगामार सहित), सिविल लाईन रामपुर, (चौकी सीएसईबी सहित), यातायात	(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (धारा 354, 509 मादर्वि को छोड़कर) (2) थाना कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, श्यांग, बालको से उद्भूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, नाप-तौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, मण्डी अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1961 तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। (3) थाना कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, श्यांग, बालको से उद्भूत होने वाले निम्न अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना :- (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिनियम 1994. (2) विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1992 (3) कंपनीज अधि. 1956 (4) धनकर अधि. 1957 (5) दानकर अधि. 1958 (6) आयकर अधि. 1961 (7) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (8) निर्यात (क्वालिटी) नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम 1963 (9) कंपनी (लाम) अतिकर अधिनियम 1964 (10) एकाधिकार तथा अवरोधक, व्यापारिक अधिनियम

			<p>1969.</p> <p>(11) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973</p> <p>(4) कोरबा रेंज, बालको रेंज एवं लेमरु रेंज से उद्भूत एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(5) जिला कोरबा के समस्त आबकारी वृत्त से उद्भूत होने वाले समस्त छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(6) स्तंभ क्रमांक-03 में वर्णित थाना के अंतर्गत उद्भूत समस्त खात्मा एवं खारिजी आवेदन का निराकरण करना।</p> <p>(7) माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 8198/II-6-2/2020(MP/MLA)/ Checkker बिलासपुर दिनांक 19.09.2020 के आदेशानुसार एमपी/एमएलए से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>(8) कोरबा जिले के समस्त आरक्षी केंद्रों से उद्भूत/उत्पन्न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले का निराकरण करना।</p> <p>(9) ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(10) क्षमा प्राप्त अभियुक्तों के मामले का निराकरण करना।</p> <p>(11) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे गये एवं अंतरित कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।</p>
2.	श्री सत्यानंद प्रसाद , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	थाना उरगा	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (धारा 354, 509 मादर्वि के प्रकरण छोड़कर)</p> <p>(2) स्तंभ क्रमांक 03 में वर्णित थाना एवं आरक्षी केन्द्र बालको, सिविल लाईन रामपुर से उत्पन्न होने वाले परिवाद पत्र तथा धारा 156(3) दप्रस के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3) थाना कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरु, श्यांग, बालको से उत्पन्न होने वाले स्वापक औषधि और मन : प्रमावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत अल्पमात्रा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4) थाना कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरु, श्यांग, बालको से उद्भूत होने वाले ड्रग्स एवं कास्मेटिक अधिनियम के वे प्रकरण जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं, का निराकरण करना।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थाना/चौकी के अंतर्गत उद्भूत समस्त खात्मा एवं खारिजी प्रकरण का निराकरण</p>

			<p>करना।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 का निराकरण करना।</p> <p>(7) थाना कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, श्यांग, बालको से उत्पन्न Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act 1994 के मामलों का निराकरण करना।</p> <p>(8) थाना कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, श्यांग, बालको से उत्पन्न होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के समस्त प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>(9) कोरबा के रिक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय के ऐसे प्रकरण जिन्हें माननीय अपीलीय अथवा पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया हों अथवा ऐसे रिक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय से संबंधित होने वाले समस्त अपराधिक प्रकरण।</p> <p>(10) ऐसे मामले जिनके संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 में बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों का न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण करने संबंधी प्रावधान है।</p> <p>(11) स्तंभ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त छ.ग. आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे।</p> <p>(12) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दंडिक प्रकरण।</p>
3.	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा,	कोतवाली (चौकी मानिकपुर सहित), आरटीओ	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्र एवं 156(3) दं.प्र.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2) थाना कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, श्यांग, बालको से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3) थाना कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, श्यांग, बालको से उत्पन्न धारा 354, 509 मादवि के समस्त आपराधिक/परिवाद प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना/चौकी के द्वारा प्रस्तुत समस्त स्वात्मा एवं सारिजी प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 का निराकरण करना।</p> <p>(7) स्तंभ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त छ.ग. आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण का</p>

			<p>निराकरण करेंगे।</p> <p>(8) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा (छ.ग.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा (छ.ग.) द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये गये समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना।</p>
4.	श्री मंजीत जांगड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	थाना लेमरू	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्र एवं धारा 156(3) दं.प्र. सं. के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2) आरक्षी केन्द्र बालको, सिविल लाईन रामपुर एवं थाना लेमरू से उत्पन्न होने वाले छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करेंगे।</p> <p>(3) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा (छ.ग.) द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के सुनवाई योग्य अंतरित मामले का निराकरण करना।</p>
5.	श्रीमती ऋचा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा		<p>(1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा (छ.ग.) द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के सुनवाई योग्य अंतरित मामले का निराकरण करना।</p>
6.	श्री पंकज दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	आरक्षी केन्द्र कटघोरा	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्र एवं 156(3) दं.प्र.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना (धारा 354, 509 भादवि के प्रकरण छोड़कर)</p> <p>(2) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले खात्मा एवं सारिजी प्रतिवेदन का निराकरण करेंगे।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, नापतौल अधिनियम, मण्डी अधिनियम, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत अल्प मात्रा से संबंधित उद्भूत आपराधिक प्रकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>(4) कटघोरा स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के रिक्त रहने पर ऐसे प्रकरण जिन्हे माननीय अपीलीय अथवा पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा पुर्नविचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया हो अथवा ऐसे रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त छ.ग.आबकारी अधिनियम, 1915 से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे।</p> <p>(6) कटघोरा रेंज, ऐतमानगर रेंज, जगटा रेंज, पसान रेंज, केंदई रेंज से उद्भूत एवं प्रस्तुत होने वाले वन संबंधी समस्त परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(7) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उत्पन्न संदाय और</p>

			<p>निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(8) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।</p>
6.	<p>कृ. मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा</p>	<p>आरक्षी केन्द्र दर्री</p>	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्र एवं 156(3) दं.प्र.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना (धारा 354, 509 मादर्वि के प्रकरण छोड़कर)</p> <p>(2) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले खात्मा एवं खास्जि प्रतिवेदन का निराकरण करेंगे।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, नापतोल अधिनियम, मण्डी अधिनियम, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत अल्प मात्रा से संबंधित उद्भूत आपराधिक प्रकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त छ.ग.आबकारी अधिनियम, 1915 से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों एवं थाना कटघोरा दर्री, दीपका, कुसमुण्डा, बांकीमोंगरा एवं पसान से उत्पन्न Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques(prohibition of sex selection) Act 1994 के अपराध के मामलों का विचारण करना।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उत्पन्न संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(7) आरक्षी केन्द्र कटघोरा, दर्री, पसान, बांकीमोंगरा, दीपका, कुसमुण्डा एवं बांगो से उद्भूत होने वाले पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 के समस्त प्रकरण।</p> <p>(8) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।</p>
7.	<p>कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा</p>	<p>आरक्षी केन्द्र बांकीमोंगरा, दीपका</p>	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्र एवं 156(3) दं.प्र.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2) आरक्षी केन्द्र कटघोरा, कुसमुण्डा, दर्री, बांकीमोंगरा, बांगो, दीपका एवं पसान थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न होले वाले समस्त धारा 354, 509 मादर्वि के प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण का निराकरण करेंगे।</p>

			<p>(3) आरक्षी केंद्र कटघोरा, कुसमुंडा, दर्री, बांकीमोंगरा, बांगो, दीपका एवं पसान से उद्भूत होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के समस्त प्रकरण।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना के द्वारा प्रस्तुत समस्त खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थाना से उद्भूत होने वाले समस्त छ.ग. आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे।</p> <p>(7) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा (छ.ग.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा (छ.ग.) द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।</p>
8.	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	आरक्षी केन्द्र बांगो, कुसमुंडा	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्रों एवं धारा 156(3) दं. प्र.सं. से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना के द्वारा प्रस्तुत समस्त खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त छ.ग.आबकारी अधिनियम. 1915 से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे।</p> <p>(5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।</p>
9.	श्री सिद्धार्थ आनंद सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	आरक्षी केन्द्र- पसान	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्रों एवं धारा 156(3) दं. प्र.सं. से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना के द्वारा प्रस्तुत समस्त खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त छ.ग.आबकारी अधिनियम. 1915 से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे।</p> <p>(5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये</p>

			गये दांडिक प्रकरण।
10.	श्री हेमंत राज धुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करतला	आरक्षी केन्द्र करतला, श्यांग	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्र एवं धारा 156(3) दं.प्र. सं. से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त छ.ग.आबकारी अधिनियम, 1915 से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, नाप-तौल अधिनियम, मंडी अधिनियम, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 एवं द रेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के समस्त प्रकरण।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण के खात्मा एवं खारिजी प्रतिवेदन।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of sex selection) Act 1994 के अपराध के मामलों का विचारण करना।</p> <p>(7) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(8) करतला रेंज, कुदमुरा रेंज तथा पशरखेत रेंज से उद्भूत एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त वन संबंधी परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा (छ.ग.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा (छ.ग.) द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।</p>
11.	श्री अमित प्रताप चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली	आरक्षी केन्द्र पाली, हरदी बाजार	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्रों एवं धारा 156(3) दं. प्र.सं. से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न/उद्भूत होने वाले छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 के मामलों का निराकरण करना।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, नाप-तौल अधिनियम, मंडी अधिनियम, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना।</p>

		<p>(4) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के समस्त प्रकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण के खात्मा एवं खारिजी प्रतिवेदन।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of sex selection) Act 1994 के अपराध के मामलों का विचारण करना।</p> <p>(7) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(8) पाली रेंज एवं चैतमा रेंज से उद्भूत एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त वन संबंधी परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे गए/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण का निराकरण करना।</p>
--	--	--

- :: आवश्यक टीप ::-

- (1) किसी भी अधिनियम से संबंधित अपराध के संबंध में यदि कोई शंका की स्थिति निर्मित होती है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरणों का निराकरण मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।
- (2) किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने अथवा शासकीय दौरे पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या किसी न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य **तालिका क्रमांक-01** के अनुसार बढ़ते हुए क्रम से संपादित किया जायेगा।
- (3) पीठासीन अधिकारी किशोर न्याय बोर्ड कोरबा की प्रत्येक सप्ताह में बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड कोरबा में बैठक होने के कारण उक्त दिनों में उनके न्यायालय में पूर्व से नियत प्रकरणों अथवा तात्कालिक सुनवाई के प्रकरणों का निराकरण **तालिका क्रमांक-01** के अनुसार बढ़ते हुए क्रम से संपादित किया जायेगा।
- (4) धारा-164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृतियों को **तालिका क्रमांक-02** के अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किया जायेगा। तालिका क्रमांक-02 के अनुसार यदि **कोई मजिस्ट्रेट लगातार अवकाश पर चला जाता है तो** उसके नाम के आगे बढ़ते हुए क्रम में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संबंधित थाने के धारा-164 दं0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृतियों/कथन दर्ज करने के लिये अधिकृत किया जाता है।
- (5) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने पर उनके अधिकारिता वाले थाना क्षेत्रों से संबंधित संक्षिप्त विचारण वाले समस्त प्रकरण उनके अनुपस्थिति में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा पंजीबद्ध किया जाकर निराकृत किये जायेंगे।

(6) ऐसे अन्य प्रकरण जिनका विशिष्ट उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में नहीं है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(7) अवकाश में अथवा मुख्यालय से बाहर जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित प्रभार में कार्य करने वाले मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट (कार्य उत्तरवर्तीय) को अवकाश की लिखित एवं मौखिक सूचना अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व देंगे।

(8) श्री हेमंत राज धुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करतला तथा श्री अमित प्रताप चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली के द्वारा प्रत्येक शासकीय या अन्यथा घोषित अवकाश के दिवसों में रिमाण्ड संबंधी आवश्यक कार्य का संपादन किया जावेगा और **मुख्यालय कोरबा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं कटघोरा** में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के रिमाण्ड संबंधी विविध आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा पृथक से, जारी किया जायेगा।

(9) तालिका क्रमांक-1 एवं तालिका क्रमांक-2 में दिये गये क्रमांक एवं विशिष्टियों को उनके निरंतरता के क्रम (बढ़ते हुए क्रम) में पढ़ा जायेगा।

(10) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किशोर से संबंधित प्रकरण हेतु किशोर न्याय बोर्ड, कोरबा (छ.ग.) में स्थापित है। बुधवार को छोड़कर शेष कार्य दिवस का किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का रिमाण्ड **प्रधान मजिस्ट्रेट/किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य/नामित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ.ग.)** के समक्ष प्रस्तुत होगा।

12.	आरक्षी केंद्र कटघोरा, दर्री, कुसमुण्डा, बांकीमोंगरा, बांगो, दीपका, पसान, पाली से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के मामले	श्री सिद्धार्थ आनंद सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	कु० रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	-
13.	आरक्षी केंद्र कटघोरा, दर्री, कुसमुण्डा, बांकीमोंगरा, बांगो, दीपका, पसान, पाली से उत्पन्न घारा-354, 509 माण्डणविव के मामले।	श्री सिद्धार्थ आनंद सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	कु. मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा

स्थान :- कोरबा

दिनांक :- 14/08/2024

sdr
(सीमा प्रताप चन्द्रा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोरबा (छ.ग.)

- विविध आदेश -

कोरबा जिला स्थापना में आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत के एन0डी0पी0एस0 अधिनियम 1985 के तहत जप्तशुदा सामाग्री की नमूना लिये जाने एवं इन्वेंट्री तैयार किये जाने के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कोरबा के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा-

क्र0	न्यायिक अधिकारियों के नाम	आरक्षी केन्द्रों के नाम
01.	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ0ग0)	सिविल लाईन रामपुर, बालको
02.	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ0ग0)	उरगा, यातायात, लेमरु
03.	श्री मंजीत जांगड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ0ग0)	कोतवाली
04.	कु. मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा (छ0ग0)	कटघोरा, पसान
05.	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा (छ0ग0)	दर्री
06.	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा (छ0ग0)	बांकीमोंगरा, दीपका
07.	श्री सिद्धार्थ आनंद सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा (छ0ग0)	बांगो, कुसमुंडा, पाली, हरदीबाजार

टीप :- न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अवकाश की दशा में दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 14/08/2024 के तालिका क्रमांक 01 में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित प्रथम/द्वितीय/तृतीय प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा, किंतु यह ध्यान रखना होगा कि दांडिक कार्य विभाजन आदेश में उन्हें आबंटित थाना न हो और यदि ऐसा होता है तो उनके अगले क्रम के प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

sd-
(सीमा प्रताप चन्द्रा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोरबा (छ0ग0)